न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.82/17 दिनांक 7.9.17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिहंपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 रकबा 12.50 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.002है0 पर रामोतार पुत्र हरचन्द जाति कुम्हार निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने पुख्ता मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । जबाब पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल रामोतार पुत्र हरचन्द जाति कुम्हार निवासी करवास द्वारा वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582/12.50किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.002है0 पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः रामोतार पुत्र हरचन्द जाति कुम्हार निवासी करवास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582/12.50 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.002है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर पुख्ता मकान निमार्ण को ध्वस्त किया जाकर कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.004का पचास गुणा 2रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2017 018 के रा० ले० 4
पृष्ठ संख्या 82 पर 22
किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)